मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

27B

क्रमांक सी–3/5/2008/3/एक   भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :— लोक सेवा आयोग की आगामी राज्य सेवा परीक्षा हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में।

———

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–5/2001/3/1, दिनांक 17 अगस्त, 2004 एवं 5 अक्टूबर, 2004 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये 30 वर्ष के स्थान पर स्थायी रूप से 35 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है जो वर्तमान में प्रचलित है।

2/ विगत वर्षों में लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षाऐं नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा सकीं है जिसके फलस्वरूप विभिन्न आवेदकों एवं विभिन्न स्तरों से लोक सेवा आयोग की आगामी राज्य सेवा परीक्षा में बैठने हेतु एक विशेष अवसर की मांग को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग की वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। परिपत्र दिनांक 17 अगस्त, 2004 एवं 5 अक्टूबर, 2004 की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3/ उपर्युक्त विशेष छूट का लाभ केवल मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों को ही प्राप्त होगा।

हस्ता/–
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

...........2

पृष्ठांकन क्रमांक सी–3/5/2008/3/एक भोपाल, दिनांक फरवरी, 2008

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.भोपाल
10. सचव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,म.प्र. च्च न्यायालय,खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि. मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/–
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग